अनुशंसित निर्माण कार्यो को पूरा करने के लिए आबंटित निधियों का जल संस्थान ने विपथन/दुरूपयोग किया हैं।

अपर सचिव द्वारा की गई जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित आग्रह करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई:

(1) इस मामले में एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए तथा दुरूपयोग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई आरंभ की जानी चाहिए।

(2) जल संस्थान को दुरूपयोग की गई धनराशि को तुरंत प्रभाव से वापस करने, अनुदान सहायता खाते में अधिशेष धनराशि को नहीं निकालने तथा खाते को प्रतिबंधित करने के लिए अनुदेश दिए जाने चाहिए।

(3) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जल संस्थान को दी गई निधियों की महालेखाकार के द्वारा तत्काल लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।

(4) संबंधित जिला कलेक्टर को जल संस्थान द्वारा नहीं शुरू किए गए निर्माण कार्यो को वापस लेने तथा भविष्य मे यह सुनिश्चित करने कि कार्यान्वयन अभिकरण को दिए गये निर्माण कार्यो की वास्तविक प्रगति की समीक्षा किए बिना धनराशि को जारी न किया जाए, के सुझाव दिये जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने यह सूचित किया हैं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं।

निधियों के विपथन/दुरूपयोग के लिए जबावदेह वित्तीय अधिकारी को निलंबित किया जा चुका हैं तथा महाप्रबंधक जो उस समय जल संस्थान के प्रमुख थे, को स्थानांतरित कर दिया गया हैं।

Medical Facilities to Bccdi Workers

2183. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether medical fecilities are being provided to all beedi workers;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the percentage of those bccdi workers to whom the medical facilities are being provided by Government, State wise?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a)and (b) A'chain of 154 dispensaries and 3 hospitals have been set up under the Bccdi Workers Welfare Fund all over the country exclusively for beedi workers to supplement the medical facilities available at the District Hospital/Rural Hospitals/ Public Health Ccntres/Sub-Centres etc. run by the State Governments

(c) A Statement is annexed.

Statement

State	% of beedi workers covered as per minimum norms.	% of beedi workers actually covered as ported by Welfare Commissioners.
Andhra Pradesh	7.3%	20.83%
Tamilnadu	7.3%	20.83%
Orissa	33.7%	Under verification.
Madhya Pradesh	16.2%	60%
Rajasthan	30%	76.5%
Gujarat	50%	71.0%
West Bengal	11.3%	30%
Assam	65%	78%
Tripura	100%	92%
Maharashtra	27.8%	44%
Karnataka	21.7%	50%
Kerala	29.7%	50%
Bihar	17%	47%
Uttar Pradesh	12.2%	33%